न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :— मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील संख्या 130/2018

कृपाराम पुत्र श्री मानसिंह जाति बावरी निवासी डबलीबास मिढारोही तहसील व जिला हनुमानगढ

—–अपीलांट्

बनाम

1. दारासिंह पुत्र वीर सिंह जाति बावरी नि0 डबलीबास मिढारोही तह0 हनुमानगढ
2. बुधसिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र सुन्दरसिंह (फौत)
   2/1. दर्शन सिंह पुत्र बुधसिंह जाति बावरी नि0 डबलीबास मिढारोही तह0 हनुमानगढ
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, हनुमानगढ

—रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज. काश्त. अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ दिनांक 20.10.2014

उपस्थितिः—

श्री कृष्ण कुमार शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
श्री मनोज अरोडा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
श्री नरेश पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 2/1
श्री खुशकरण खोसा, राजकीय अधिवक्ता

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णयः— दिनांकः—27.02.2019

1. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार है कि प्राथी /रेस्पोडैन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धरा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की चक 4 एम ओ डी के प0नं0 81/260 मु0नं0 42 किला नं0 15 से 17, 24, 25 व प0नं0 81/261 मु0नं0 43 किला नं0 4 से 8 कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी को आने जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नही है। प्रार्थी के पडौस में इसी चक के प0नं0 81/260 किला नं0 5, 6 में से पूर्व दिशा की ओर उतर—दक्षिण से प्रार्थी गांव से अपने खेत में जाने जाने के लिए बहुत पुराने समय से प्रयोग कर रहा है। किला नं0 5 पूर्वी हिस्से से 10 विस्वा अप्रार्थी संख्या 1 कृपाराम का है तथा किला नं0 6 पूर्वी हिस्सा 10 विस्वा अप्रार्थी संख्या 2 के दादा सुन्दर सिंह के हिस्सा तथा कब्जा में है। कुछ दिनो से अप्रार्थीगण प्रार्थी को उक्त चालू रास्ता से आने जाने नही दे रहे है, परेशानी पैदा कर रहे हैं। अतः प्रार्थी को अपनी भूमि

में जाने जाने के लिए अप्रार्थी सं0 1 की चक 4 एम ओ डी प0नं0 81/260 किला नं0 5 के पूर्वी तरफ व अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्सा व कब्जा के किला नं0 6 में पूर्वी तरफ उतर–दक्षिण 1–1 विस्वा (1–1 गटठा यानि 8¼ फुट) रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे। उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडैन्ट संख्या 1 के प्रार्थना–पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 20.10.2014 को प्रार्थी/ रेस्पोडैन्ट सं0 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किये कि अधिनस्थ द्वारा जारी नोटिस कभी भी प्रार्थी को नही मिला, न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर तामिल कुन्दिरा द्वारा रिपोर्ट की गई है कि सायल खुद घर पर मिला नोटिस लेने से इन्कार किया गया रिपोर्ट पेश है, लेकिन निष्पक्ष साक्षीयों के हस्ताक्षर नही करवाये तामिल कुन्निदा के हस्ताक्षरों से भी स्पष्ट नही है कि तामिल कुन्निदा कौन व्यक्ति है। सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार तामिल विधिसम्मत नहीं है। रेस्पोडैन्ट संख्या 1 द्वारा जो रास्ता चालू होना बताया गया है वहां कभी कोई रास्ता नही रहा बल्कि पक्का कमरा बना हुआ है। रेस्पोडैन्ट संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय को अंधेरे में रखकर अपीलधीन निर्णय पारित करवाया गया है। इसके अलावा चक 4 एम ओ डी प0नं0 81/260 किला नं0 6 से 8 भाग सिंह, सुन्दर सिंह, मेहर सिंह पिसरान फूमण सिंह आदि की मुशतरका भूमि है। रेस्पोडैन्ट संख्या अन्य सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता सम्बन्धी सक्षम अधिकारी की रिपोर्ट भी नही ली गई जो आवश्यक है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में आर बी जे 2017 पेज 189, आर बी जे 2015 पेज 474, आर आर डी 1996 पेज 474, आर आर डी 1984 पेज 154 व 156 व 111 तथा 46 पर प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की प्रतियां प्रस्तुत की व अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट संख्या 2/1 ने अपनी बहस में कथन किये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस कभी भी रेस्पोडैन्ट को प्राप्त नही हुआ है व प्रार्थी/रेस्पोडैन्ट संख्या 1 द्वारा जिस भूमि में रास्ता की मांग की जा रही है वह भूमि रेस्पोडैन्ट संख्या 2/1 अकेले की न होकर मुश्तरका खाता की भूमि है जिसका विधिवत् विभाजन नही हुआ है तथा प्रार्थी द्वारा सहकाश्तकारान को पक्षकार बनाये बिना अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था जो चलने योग्य ही नही था। रेस्पोडैन्ट संख्या 2 ने अपीलांट का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
राजस्व अपील अधिकरण (राज.)

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किये कि अधिनस्थ न्यायलय द्वारा जारी नोटिस की अपीलांट व रेस्पोडैन्ट संख्या 2 पर विधिवत् तामिल होने के पश्चात ही उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडैन्ट संख्या 1 स्वयं व स्वतंत्र व निष्पक्ष गवाहान के शपथ पत्र लेकर बाद जांच निर्णय पारित किया गया है जो पूर्णतयः सही है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आधार पर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद भी हो चुका है। अपीलधीन निर्णय का अपीलांट को हमेशा से ज्ञान रहा है लेकिन अपीलांट ने जानबूझकर अपील देरी से प्रस्तुत की है तथा अपील देरी से प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नही किया है। अपील अपीलांट मियाद बाहर है व चलने योग्य नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

6. पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्यनन किया गया।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय सुना जाकर पारित किया गया है। रेस्पोडैन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट की चक 4 एम ओ डी प0नं0 81/260 किला नं0 5 के पूर्वी तरफ व रेस्पोडैन्ट संख्या 2 के हिस्सा व कब्जा के किला नं0 6 में पूर्वी तरफ उतर–दक्षिण 1–1 विस्वा (1–1 गटठा यानि 8¼ फुट) रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतू आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया था तथा अपने आवेदन–पत्र के समर्थन में रेस्पोडैन्ट संख्या 1 द्वारा स्वयं की भूमि की जमाबन्दी प्रदर्श–1, अप्रार्थीगण की भूमि के प्रदर्श– 2 व 3 जमाबन्दीयां प्रस्तुत की गई थी। प्रदर्श–1 जमाबन्दी में प0नं0 81/260 मु0नं0 42 किला नं0 5/1/.169 हैक्टयर भूमि अपीलांट के नाम दर्ज है, लेकिन प्रदर्श–1 में यह कतई स्पष्ट नही है कि किला नं0 5 का कौन सा हिस्सा अपीलांट के कब्जा में है इसके अलावा प्रदर्श–3 जमाबन्दी से स्पष्ट है कि प0नं0 81/260 किला नं0 6 की भूमि अकेले अप्रार्थी संख्या 2 की न होकर भाग सिंह आदि की भूमि है जो मुश्तरका खाता में है लेकिन प्रार्थी/रेस्पोडैन्ट संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के अलावा शेष सहकाश्तकारान को पक्षकार नही बनाया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी तहसीलदार की रिपोर्ट भी नही ली गई है। जहां तक मियाद के बिन्दु का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2014 के विरूद्व यह अपील दिनांक 8.05. 2018 को प्रस्तुत की गई है जो अत्याधिक देरी से है व अपील पेश करने में हुई देरी के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में कि जहां न्याय का प्रश्न हो वहां मियाद को महत्वता नही दी जा सकती। सभी प्रभावित

राजस्व अपील प्राधिकारी (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया है। पक्षकारों की तामील प्रेषित नहीं है। रास्ते के सबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सक्षम अधिकारी अर्थात गिरदावरी/तहसीलदार से रिपोर्ट नहीं ली गई है। बिना रिपोर्ट लिए ही सिर्फ प्रार्थना-पत्र के आधार पर एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शे, हल्फनामा आदि के आधार पर निर्णय किया है। हालांकि तहसीलदार को रिपोर्ट हेतु पत्र लिखा गया है परन्तु रिपोर्ट मंगाई नहीं गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2014 अपास्त किया जाता है व पत्रावली इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को लौटाई जाती है कि वह पक्षकारान को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण करें। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 27.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

27/2/19

मूल चन्द (आर0ए0एस0)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)